भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकितप्रश्न सं. 2063
दिनांक11.03.2025 को उत्तरार्थ

हस्तांतरण रिपोर्ट

†2063. श्री सुधाकर सिंहः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हस्तांतरण रिपोर्ट 2015-16 के मुख्य निष्कर्षों, विशेषकर देश में स्थानीय लोकतंत्र और हस्तांतरण की स्थिति का ब्यौरा क्या है और इन निष्कर्षों ने नीतिगत निर्णयों को किस हद तक प्रभावित किया है;

(ख) सरकार का अगली हस्तांतरण रिपोर्ट कब तक जारी करने का विचार है और इसकी तैयारी में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है:

(ग) सरकार द्वारा हस्तांतरण की प्रभावकारिता और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए 2015-16 से अब तक किए गए अध्ययनों अथवा मूल्यांकनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा शासन और लोक सेवाओं की बेहतर प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए देश, विशेषकर बिहार में स्थानीय सरकारों के कार्यकरण और स्वायत्तता में सुधार लाने के लिए उठाए जा रहे विशिष्ट कदमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री
(प्रो0 एस0 पी0 सिंह बघेल)

(क) अंतरण रिपोर्ट2015-16 को 26 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में किए गए अध्ययन के आधार पर तैयार किया गया था, जिसमें संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के जिलों में एक जिला पंचायत, एक ब्लॉक पंचायत और एक ग्राम पंचायत तथा पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों से प्रत्येक में दो ग्राम पंचायतों को सैम्पल में शामिल किया गया था।

इस रिपोर्ट में, संचयी सूचकांक को दो पद्धतियों का उपयोग करते हुए तैयार किया गया था-

(i). **डेल्फीतकनीक का इस्तेमाल कर विकसित किए गए वैचारिक माडल पर आधारित संशोधित पद्धति।**

पंचायती राज सँस्थाओं के कार्यकरण के दो भिन्न पक्षों के आधार पर संशोधित पद्धति वाले आकलित अंतरण का इस्तेमाल करते हुए संचयी सूचकांक-

क) पंचायती राज सँस्थाओं द्वारा कार्यों के अंतरण, अधिकारियों के स्थानांतरण, वित्त अंतरण और स्वायत्तता के प्रयोग को शामिल करते हुए विकेंद्रीकरण के परिचालन मुद्दे से जुड़े पहलुओं पर हुई प्रगति।
ख) क्षमता निर्माण, संवैधानिक तंत्र के क्रियाशील बनाने और उत्तरदायित्व और पारदर्शिता हेतु प्रणाली बनाने को शामिल करते हुए हस्तांतरण हेतु सहायक प्रणाली विकसित करने में उपलब्धि।

(ii) **नीतिगतअंतरण सूचकांक, प्रचलन संबंधी अंतरण सूचकांक और प्रचलन की तुलना में समायोजित नीतिगत अंतरण सूचकांक तैयार करने के आधार पर सामान्य पद्धति।**

इस सामान्य पद्धति का इस्तेमाल करते हुए संचयी सूचकांक में पंचायती राज सँस्थाओं के कार्यकरण के चार भिन्न पहलुओं पर राज्यों के निर्देशक रैंकिंग देने की कोशिश की गई –

क) कार्यों का अंतरण |
ख) कर्मियों का स्थानांतरण।
ग) पीआरआई को वित्त का अंतरण।
घ) अवसंरचना, शासन और पारदर्शिता (आईजीटी) की प्रणाली को स्थापित करने में राज्यों की तुलनात्मक उपलब्धि ।

पंचायती राज मंत्रालय ने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु,, उनसे अनुरोध किया था कि वे अपनी पंचायतों के कार्य-निष्पादन और विकेन्द्रीकरण के स्तर का मूल्यांकन करें तथा भविष्य के लिए राज्य की नीतियों और प्राथमिकताओं के संगत एक रोडमैप तैयार करें।

संचयी अंतरण सूचकांक में केरल पहले स्थान पर रहा, उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा। इसके अतिरिक्त, सिक्किम उत्तर-पूर्वी राज्यों में पहले स्थान पर और कुल मिलाकर छठे स्थान पर रहा। इसके अलावा, वृद्धिमूलक अंतरण सूचकांक में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा, उसके बाद सिक्किम दूसरे स्थान पर और ओडिशा तीसरे स्थान पर रहा। गुजरात और मध्य प्रदेश पांचवी अनुसूची क्षेत्र के राज्यों में पहले स्थान पर रहे।

(ख) और (ग) अंतरण रिपोर्ट 2015-16 को जारी करने के पश्चात, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका और अंतरण की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने फरवरी, 2025 में "राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति-एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग, 2024" नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट अंतरण सूचकांक को प्रस्तुत्त करती है, जोकि संविधान के भाग-9 के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को चिन्हित किए गए छः आयामों, अर्थात् रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता में वृद्धि और जवाबदेही के आधार पर उनको समग्र स्कोर और रैंक प्रदान करती है। अगले मूल्यांकन के विवरण को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को, संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243छ, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों कों, जो पंचायतों को सौंपी जा सके, जिनमें संविधान की

ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय भी शामिल है, के क्रियान्वयन के लिए, किसी भी राज्य के विधान मंडल को, निर्दिष्ट शर्तो के अधीन, उचित स्तर पर पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, कानून द्वारा, प्रावधानों को बनाने का अधिकार देता है। राज्य के विधानमंडल को, पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, ग्यारहवी अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर विचार करना होता है। तदनुसार, स्थानीय सरकारों की कार्यप्रणाली और स्वायत्तता संबंधित राज्यों द्वारा उन्हें सौंपी गई शक्तियों और संसाधनों, जो बिहार राज्य सहित विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होते है, की सीमा पर निर्भर करता है।

हालांकि, पंचायती राज मंत्रालय समय-समय पर अध्ययनों, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय दौरों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों, सामान्य समीक्षा मिशनों आदि के माध्यम से पंचायतों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करता है। यह मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की योजना के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यापक स्तर पर क्षमता निर्माण करता है। यह मंत्रालय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि वे ग्राम पंचायतों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें और अपनी नेतृत्व भूमिकाओं का उचित ढंग से निर्वहन कर सकें। पंचायती राज मंत्रालय सभी पंचायतों को प्रत्येक वर्ष केंद्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान के उपयोग के लिए अपनी योजनाएं तैयार करने और अपलोड करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल भी प्रदान करता है। पंचायतों द्वारा विधिवत अनुमोदित इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी प्रत्येक चरण में सिस्टम जनित वाउचर, जियो -टैगिंग और पंचायत प्रधान तथा पंचायत सचिव को सौंपी गई जिम्मेदारियों के माध्यम से की जाती है।

****